यह निरीक्षण प्रतिवेदन डप्टी क मश्नर (क0नि0)-II वा णज्य कर, रूद्रपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

डप्टी क मश्नर (क0नि0)-II वा णज्य कर, रूद्रपुर के माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव, श्री डी0के0 श्रीवास्तव एवं श्री कलवन्त संह सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों, द्वारा दिनांक 29.01.2018 से 01.02.2018 एवं 07.02.2018 से 09.02.2018 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर, लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

<u>भाग-I</u>

1. **(1)**<u>परिचयात्मकः</u> इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री दीपक मालवीया एवं श्री अजय कुमार मश्रा सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक 18.06.2016 से 27.06.2016 तक श्री अमर नाथ साहूँ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/15 से 03/16 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जाँच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः – काशीपुर रोड, रूद्रपुर, सेक्टर 01,02 सडकुल, पन्तनगर
3. (ii) (अ) राजस्व ववरण

वगत 3 वर्षो मे कार्यालय (आबकारी वभाग) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (लाख मे)
2014-15	11125.22
2015-16	11795.11
2016-17	13331.14

(ii)(ब) बजट का ववरण:- वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:(लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
शून्य								

(I) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन शासन से मुख्यालय को, मुख्यालय से डी0डी0ओ0 द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई A श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

स चव, वत्त > आयुक्त कर, वा णज्य कर> ज्वाइंट क मश्नर, वा णज्य कर> डप्टी क मश्नर, वा णज्य कर> सहायक आयुक्त , वा णज्य कर> वा णज्य कर अ धकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन डप्टी क मश्नर (क0नि0)-**II** वा णज्य कर, रूद्रपुर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) वस्तृत जांच हेतु माह का चयन **:-**

राजस्व**:** माह 03/2017 को वस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित कया गया।

व्यय: माह......को वस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित कया गया।

(vii) योजना का चयन :- कोई नहीं।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संवधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 ब

प्रस्तर-01 : कर वलम्ब से जमा कये जाने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ` 2.73 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम-2005 की धारा-58(1)(vii) के अंतर्गत कसी व्योहारी ने युक्ति-युक्त कारण के बिना अ धनियम के उपबंधों के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं कया है तो वह देय कर का कम से कम 10 प्रतिशत कन्तु अ धक से अ धक 25 प्रतिशत, यदि कर ` 10000/- तक हो और देय कर का 50 प्रतिशत यदि कर ` 10000/- से अ धक हो, का दायी होगा।

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर नियमावली-2005 के नियम-II के अनुसार व्योहारी, जिनका पूर्ववर्ती वर्ष में 50 लाख से अ धक का आवर्त रहा हो, कर का भुगतान मा सक, ई-पेमेंट द्वारा उत्तरवर्ती माह की 25 तारीख तक करेगा।

कार्यालय डप्टी क मश्नर (क॰नि॰),II रुद्रपुर की लेखापरीक्षा में कर-निर्धारण वादों की नमूना जाँच में पाया गया क निम्न व्यापारियों द्वारा अपना मा सक कर नियमानुसार देय ति थ तक जमा न कर वलम्ब से जमा कया गया था:

क्र॰सं॰	व्योहारी का नाम	देय कर	देय ति थ	जमा करने की ति थ
(i)	रेडीसेल्स प्रा॰ ल॰	1907162	25.05.13	01.06.13
(ii)	सुरेन्द्र हार्डवेयर स्टोर	156736	25.05.13	27.05.13
		356406	25.08.13	26.08.13
		309690	25.09.13	26.09.13
कुल		27**,29,994/-**		

अतः उपरोक्त देय कर ` 27**,29,994/-** पर कम से कम 10% की दर से ` 2,72,999/- का अर्थदण्ड आरोपणीय था जो क अ धरो पत नहीं कया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इं गत कए जाने पर कर-निर्धारण अ धकारी द्वारा अपने उत्तर में कहा क जाँचोपरान्त अ ग्रम कार्यवाही कर अवगत करा दिया जायेगा।

अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग 2 ब</u>

<u>प्रस्तर- 02:</u> ब्याज की धनरा श जमा न कराया जाना ` 0.50 लाख ।

कार्यालय डप्टी क मश्नर (क॰नि॰), II रुद्रपुर की लेखापरीक्षा में कर-निर्धारण वादों की नमूना जाँच में पाया गया क व्योहारी सर्वश्री रीजेन्सी हैल्थ केयर, रुद्रपुर का वर्ष 2013-14 का कर निर्धारण धारा 9(2) के अंतर्गत कया गया था जिसमें व्यापारी पर केंद्रीय बिक्री ` 3,97,02,897.49 पर ` 5,06,140.92 कर आरो पत कया गया था । कर-निर्धारण आदेश में व्यापारी द्वारा अ धक जमा आई॰टी॰सी॰ ` 4,14,690.00 का लाभ देते हुये ` 91451.00 कर अ धरो पत कया गया था, जो क व्यापारी का स्वीकृत कर था। कर-निर्धारण आदेश में व्यापारी को माँगपत्र प्राप्ति के 60 दिन के अन्दर दिनाँक 01.11.2013 से 15% वा षक ब्याज सहित कर राजकोष में जमा कये जाने की माँग सृजित की गयी थी।

आगे जाँच में पाया गया क व्यापारी द्वारा दिनाँक 08.06.17 को ` 50,000/- तथा दिनाँक 19.06.17 को ` 41,451/- (कुल ` 91,451/-) जमा कया गया था, परन्तु, ब्याज जमा नहीं कया गया था। आगे, आर-3 पंजिका की जाँच में पाया गया क ब्याज की रा श जमा कराये बिना ही माँग को समाप्त कर दिया गया था।

अतः व्यापारी पर ` 49,612/- का ब्याज देय था। ववरण निम्नवत है:

चालान की रा श	जमा करने की ति थ	अव ध (01.01.13 से)	ब्याज **(@15%)**
50,000	08.06.2017	43 माह 07 दिन	27021.00
41451	19.06.2017	43 माह 18 दिन	22591.00
कुल			49,**612/-**

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इं गत कए जाने पर कर-निर्धारण अ धकारी द्वारा अपने उत्तर में कहा क जाँचोपरान्त कार्यवाही कर अवगत करा दिया जायेगा।

अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर- 03 :कर का न्यूनारोपण ` 0.37 लाख व ब्याज ` 0.24 लाख ।

कार्यालय डप्टी क मश्नर (क॰नि॰) II, रुद्रपुर की लेखापरीक्षा में कर-निर्धारण वादों की नमूना जाँच में निम्न तथ्य संज्ञान में आये:

व्यौहारी: सर्वश्री अनमोल पो लमर्स, काशीपुर रोड, रुद्रपुर का वर्ष 2011-12 का कर-निर्धारण दिनाँक 13.01.2017 को कया गया था। कर-निर्धारण आदेश की जाँच में पाया गया क व्योहारी द्वारा संगत वर्ष में प्रपत्र-11 के सापेक्ष की गयी बिक्री 141582322.17 पर रियायती दर 2% की दर से ` 2831646.44 कर निर्धारित कया गया था। आगे, पत्रावली की जाँच में पाया गया क व्योहारी द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र-11 के अनुसार बिक्री निम्नवत थी:

क्र॰सं॰	क्रेता का नाम	प्रपत्र 11-की रा श
1	Badve Engg Ltd	3981900.00
2.	Ping AutoMotive	61690411.00
3.	Varroc Engg Ltd	79182396.00
कुल :		144854707.00

अतः इस प्रकार ` (141582322.17-144854707) 3272384.83 की बिक्री पर 2 %की दर से ` 65448.00 कर और आरोपणीय था जो क आरो पत नहीं कया गया था। इसके अतिरिक्त उक्त कर की रा श पर 2011/10) माह 77से (2017/03हेतु 1.2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ` ब्याज भी देय 62994.00 था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इं गत कए जाने पर कर-निर्धारण अ धकारी द्वारा अपने उत्तर में कहा क ` 79182396/- की रा श with tax है जिसमें ` 1552596/- टैक्स है। साथ ही व्यापारी द्वारा `1228210/- की sale returns की गयी है। अतः net amount ` 491578 (142073901-141582322) पर 2% की दर से ` 9831.56 की करदेयता व ` 9462.87 के ब्याज की देयता स्वीकार की गयी।

(ii) व्योहारी :सर्वश्री राघव पो लमर्स, सडकुल, पंतनगर का वर्ष14-2013 का कर-निर्धारण दिनाँक 16.02.2017 को कया गया था। करनिर्धारण आदेश की जाँच में पाया गया क -11-व्योहारी द्वारा संगत वर्ष में प्रपत्रके सापेक्ष की गयी बिक्री पर रियायती 64819480.00 2 % दर की दर से ` 1296389.60 कर निर्धारित कया गया था।

आगे पत्रावली की जाँच में पाया गया क व्योहारी द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र 11-के अनुसार बिक्री (Value before Tax) निम्नवत थी:

क्र॰सं॰	क्रेता का नाम	प्रपत्र 11-की रा श
(i)	Jhonson Control Automotives	8412114.00
(ii)	Jhonson Control Automotives	57543024.00
कुल :		**65955138.00**

अतः इस प्रकार ` 1135658) 65955138 - 64819480) की बिक्री कम दिखायी गयी थी जिस पर 2 प्रतिशत की दर से ` 22713 00.कर और आरोपणीय था जो क आरो पत नहीं कया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इं गत कए जाने पर कर-निर्धारण अ धकारी द्वारा अपने उत्तर में कहा क व्यापारी द्वारा ` 57543024/- के प्रपत्र-11 की रा श with टैक्स है जिसकी basic value ` 56412729/- है तथा ` 8412114/- की रा श basic value पर है। इस प्रकार कुल ` 64826843/- की बिक्री प्रपत्र-11 के वरुद्ध की गयी है। अंतर की रा श ` 7363/- पर 2% की दर से ` 147/- कर आरोपणीय है साथ ही ब्याज ` 97.50 की देयता स्वीकार की गयी।

(iii) व्योहारीसर्वश्री टी॰वी॰एस॰ श्रीचक्रा ल॰ :, पंतनगर का वर्ष 20115-4 का करनिर्धारण-दिनाँक 30.12.2016 को कया गया था। व्योहारी के करनिर्धारण आदेश की जाँच में पाया -11-गया क व्योहारी द्वारा संगत वर्ष में प्रपत्रके सापेक्ष की गयी बिक्री 1678624263.00 2 %पर रियायती दरकी दर से ` 33572485.26 कर निर्धारित कया गया था।

आगे पत्रावली की जाँच में पाया गया क व्योहारी द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र 11-के अनुसार बिक्री (Value before Tax) निम्नवत थी:

क्र॰सं॰	क्रेता का नाम	प्रपत्र 11-की रा श
(i)	Autofit Pvt Ltd.	108715030.46
(ii)	Bajaj Auto Ltd.	236634917.60
(iii)	Hero Motocorp Ltd.	536415208.88
(iv)	Rockman Inds Ltd.	798220728.42
कुल :		**1679985886.56**

अतः इस प्रकार ` 1361623.56 )1679985886.56-1678624263.00) की बिक्री कम दिखायी गयी थी जिस पर 2 प्रतिशत की दर से ` 27232 00.कर और आरोपणीय था जो क आरो पत नहीं कया गया था।

इसके अतिरिक्त उक्त कर की रा श पर 41 माह 201/10)4 से (2017/03हेतु 1.25 %प्रतिमाह की दर से ` 13956.00 ब्याज भी देय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इं गत कए जाने पर कर-निर्धारण अ धकारी द्वारा अपने उत्तर में कहा क जाँचोपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

अतः कर के न्यूनारोपण ` 37210.56 (9831.56+147+27232) एवं ब्याज ` 23516.37 (9462.87+97.5+13956) का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-**III**

राजस्व से संबं धत वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
42/2005-06	1,2	1
04/2007-08	शून्य	1,2
34/2008-09	शून्य	1,3
27/2009-10	1,2,3	1,3,4
50/2012-13	शून्य	04
28/2013-14	शून्य	03
51/2014-15	1,2	1,2,3,4
35/2015-16	1,2,3,4,5,6,7,8	1
10/2016-17	1,3	3,4,5,6

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या :

व्यय से संबंधित वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण : शून्य

<u>भाग-**IV**</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-**V**

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय डप्टी क मश्नर (क0नि0)-**II** वा णज्य कर, रूद्रपुर तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गये: शून्य
2. सतत् अनिय मतताएः
   टिप्पणी- शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्रीमती मोहिता भण्डारी	डप्टी क मश्नर

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति डप्टी क मश्नर (क0नि0)-**II** वा णज्य कर, रूद्रपुर को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रे षत कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/राजस्व क्षेत्र